न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 93/19 GCMS NO 2019/00174

1. कैलाश पुत्र पांचू
2. हरकेश पुत्र पांचू
3. जगनी पत्नि पांचू
4. रामजीलाल पुत्र मूल्या जातियान मीना निवासीयान बाल का पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. सूरजमल पुत्र बुधराम जाति मीना निवासी बाल का पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. उप पंजीयक टोडाभीम
3. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 108/16 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.6.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री कृष्ण मित्तल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुरेश चंद शर्मा

दिनांक 17.04.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.6.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम जिला करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा आराजी ख0न0 482/0.14,483/0.08,484/0.08,485/0.08,1224/0.16,1225/0.04, 1226/0.06, 1227/0.05, 1244/0.15, 1245/0.15, 1246/0.26,1247/0.12, 1248/0.15, 1249/0.26,1250/0.28,1251/0.39,1696/0.56, 1900/0.10, 1901/0.11, 1903/0.06, 3947/0.58, 3951/0.59 कुल किता 22 कुल रकबा 4.45 है0 एवं ख0न0 1406/0.46, 1407/0.01, 1408/0.47, 1409/0.01, 1410/0.35, 1413/0.18, 1414/0.20 कुल किता 7 कुल रकबा 1.68 है0 मे वादी हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न0 1 ता 3 बहिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी न0 4 बहिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा हो रहा है। लेकिन कौन किस नम्बर पर काबिज है पता नहीं जिस कारण डोल मेड व रास्ते को लेकर विवाद बना रहता है। रिकार्डेड बंटवारा नही होने से आपस मे विवाद बना रहता है। दिनांक 25.8.16 को वादी अपनी आराजी पर खडी फसल की देखभाल कर रहा था कि प्रतिवादीगण आये और कहने लगे कि तुमने हमसे ज्यादा जमीन काश्त कर रखी है इसलिए अबकी बार उक्त आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पर हम काश्त करेगे। वादी ने कहा कि आपत्ति है तो तहसील मे चलकर बंटवारा करा लेते है। परन्तु उनके द्वारा साफ इंकार कर दिया गया। इस कारण दावा करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त आराजीयात मे वादी के खातेदारी के अनुसार व प्रतिवादीगण की अलग अलग खातेदारी कायम करने हेतु दावा प्राथमिक डिक्री कर बंटवारा स्कीम मंगवाई जाकर फाईनल डिक्री किया जावे एवं प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत नही करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया तथा कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिक्री करने के आदेश नही दिये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जल्दबाजी मे पारित की है। जबाब दावा प्रस्तुत करने पर कानूनन तनकी कायम की जाती है तथा दोनो पक्षो की साक्ष्य ली जाती है जिसके पश्चात निर्णय पारित किया जाता है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा न करके कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय मे जो बंटवारा स्कीम पेश की है वह खिलाफ मौका कब्जा है तथा जानकारी मे नही है। अपीलांट के कब्जे व खातेदारी की भूमि को बंटवारा स्कीम मे वादी रेस्पो0 के नाम कर दी गई है। जिससे मौके पर झगडा होने व भूमि से बेदखल होने की पूर्ण संभावना है। बंटवारा स्कीम तैयार करने का आदेश तहसीलदार टोडाभीम को दिया गया है लेकिन तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार नही की गई है। उनके काउन्टर सिगनेचर है। बंटवारा स्कीम तैयार करने व मौके पर पहुॅचने के लिए अपीलांट को नोटिस नही दिया गया है तथा जबानी भी नही कहा गया है। ना ही बंटवारा स्कीम पर पक्षकारो के हस्ताक्षर है तथा ना ही राजस्व नियमावली के नियम 18 से 21 की पालना की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजीयात अपीलांट/एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसका बाहमी बंटवारा हो चुका है। बाहमी बंटवारे के अनुसार अपीलांट एवं रेस्पो0 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। परन्तु उक्त आराजीयात मे कौन सा हिस्सा अपीलांट के हिस्से मे आता है तथा कौन सा हिस्सा रेस्पो0के हिस्से मे आता है। यह तय नही हो पाता है। पक्षकारान के मध्य आये दिन मौके पर विवाद होने के कारण एवं अपीलांट द्वारा आये दिन झगडा फसाद करने एवं अपीलांट द्वारा विधिवत बंटवारा कराने से मनाही करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे विधि अनुसार बंटवारे का वाद पेश किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:44:58 IST
Reason: SDMAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जिसमे अपीलांट एवं रेस्पो0 द्वारा मौके एवं कब्जे के अनुसार बंटवारा करने की सहमति दिये जाने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया गया है। इस प्रकार आपसी सहमति से जारी प्राथमिक डिक्री की अपील चलने योग्य नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषको की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 से स्पष्ट है। उभयपक्ष द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे विवादित आराजीयात का सहमति के आधार पर बंटवारा कराने पर अपनी सहमति प्रकट किये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को 500/—रूपये की फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विवादित आराजीयात मे वादी हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी न0 1 ता 3 बहिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी न0 4 बहिस्सा 1/4 अलग अलग खाता कायम करते हुए बंटवारा स्कीम तलब की गई है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा जो बंटवारा स्कीम तैयार की गई है वह अपीलांट की मौजूदगी मे तैयार नही की गई है तथा राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के निर्देशान्तर्गत बंटवारा स्कीम नही बनाई गई है ना ही बंटवारा स्कीम पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर है। इस प्रकार बंटवारा स्कीम मनमाने तरीके से तैयार की गई है। अपीलांट अधिवक्ता के इस कथन से हम सहमत है क्योकि बंटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवारा स्कीम पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है ना ही अपीलांट एवं रेस्पो0 को मौके पर तलब करने हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिया गया । इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 मे दर्ज हिस्से अनुसार कुरेजात प्राप्त की जाकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मुकदमा 108/16 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.6.19 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजीयात की जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 मे दर्ज हिस्से अनुसार तहसीलदार टोडाभीम से कुरेजात प्राप्त की जाकर पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के यहॉ दिनांक 9.6.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर